न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/78 दायरा दिनांक : 08.06.2022

उनवान

तुरसां पत्नी मांगीलाल पुत्री मथरी, रामनाथ, जाति तेली, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
.... अपीलांट

बनाम

1– माणकचन्द पुत्र मथरी, घांसीलाल
2– हरिबल्लभ पुत्र मथरी, घांसीलाल
3– पूरब चन्द पुत्र मथरी, घांसीलाल
जाति राठोर (तेली) निवासीगण केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद
रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 09/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलांट ने एक वाद वास्ते घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम वादिनी के पिता रामनाथ के खाते एवं कब्जे काश्त में मौजा केलवाडा पटवार हल्का केलवाडा में खाता संख्या 690 के खसरा नम्बर 313 रकबा 26 बीघा कृषि भूमि स्थित थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 से वादिनी का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न ही न्याय की मंशा को समझाने का प्रयास किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 पारित की गई है जो खिलाफ कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल नं. 690 दिनांक 30.05.1953 मूल खातेदार रामनाथ बेटा सीता, जाति तेली, निवासी केलवाडा के फोत होने पर खोला गया जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट में रामनाथ फोत होना व उसके एक लड़की 3 साल की तुरसां और औरत मुस. मथरी मौजूद है किन्तु तहसीलदार शाहबाद द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त रामनाथ का पुत्रहीन मरना तथा विधवा मथरी होना तस्दीक हुआ, कोर्ट फीस चस्पा करवाया जाकर व बाद जांच रामनाथ के मथरी का नाम दर्ज हो। जबकि वक्त नामान्तरकरण तस्दीक नाबालिक पुत्री तुरसां मौजूद थी, इस प्रकार अकेली मथरी के नाम गलत दर्ज किया गया व मथरी द्वारा रामनाथ के देहान्त के बाद घासीलाल तेली (राठोर) निवासी सोनखरा, तहसील बमोरी, जिला गुना से नाता विवाह कर अपने पास ही केलवाडा बुला लिया जिसके बाद मथरी व घासीलाल के दाम्पत्य से तीन पुत्र माणक, हरिबल्लभ, पूरबचन्द उत्पन्न हुए इस प्रकार मूल खातेदार रामनाथ पुत्र सीता की एक मात्र पुत्री अपीलांटा है इस आधार पर नामान्तरकरण सं. 690 दिनांक 30.05.1953 को गलत रूप से खोला गया है जबकि 1/2 हिस्सा अपीलांटा का व 1/2 हिस्सा मथरी का दर्ज होना चाहिए था। मथरी के देहान्त होने पर इंतकाल कनांक 566 दिनांक 15.10.1997 को खोला गया जिसमें जो सजरा दिया गया है मथरी फोत तुरसांबाई, माणकचन्द, हरिबल्लभ, पूरबचंद दर्शाये गये हैं जिसमें कहीं भी किसी की वल्दियत अंकित नहीं की गई इस प्रकार गलत रूप से अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 3 का समान रूप से हिस्सा दर्ज कर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिया गया जबकि 1/2 अपीलांट का 1/2 मथरी का हिस्सा था। मथरी के 1/2 हिस्से में उक्त चारों हिस्सेदार अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 समान रूप से हिस्सेदार थे इस प्रकार अपीलांटा का हिस्सा 1/2 + 1/16 दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया तथा रिकार्ड पर गौर न कर तकनीकी बिन्दुओं पर गौर कर वाद अपीलांट का निरस्त किया गया है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं होने के कारण डिक्री दिनांक 06.04.2022 काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा व जवाब दावा के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की गई, जबकि निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 में 9 तनकीयात का ही उल्लेख किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व नाबालिग पुत्री को पिता की विरासत में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे उल्लेख नहीं किया गया, न प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व कोटा स्टेट के किस सरक्यूलर के तहत विरासत तय होती थी व कोटा स्टेट सरक्यूलर के अनुसार नाबालिग पुत्री को अधिकार प्राप्त नहीं था यह साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 ता 3 पर था जिसे साबित नहीं किया गया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तकनीकी बिन्दुओं को आधार मानकर ही वादनी/अपीलांटा का वाद गलत रूप से निरस्त किया गया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाकर वादनी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 प्रकरण सं. 09/2012 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट/वादनी का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि मृतक रामनाथ की मृत्यु पर खोले गये नामान्तरकरण सं. 690 दिनांक 30.05.1953 को निरस्त किया जाकर 1/2 हिस्सा अपीलांट के नाम व 1/2 हिस्सा रामनाथ की पत्नी मथरीबाई के नाम दर्ज किये जाने एवं मथरी के देहान्त के बाद वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 के समान रूप से 1/2 हिस्से में 1/4 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा अपीलांटा के पक्ष में खिलाफ रेस्पोडेंट इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उसके खातेदारी एवं स्वामित्व में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 14.01.2010 पेज 54 से 59, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिन्दू विधियां पेज 41 से 43 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की मां मथरी की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी का नामान्तरकरण खोला गया।

अपीलांट का कथन रहा है कि वक्त नामान्तरकरण तुरसा मौजूद थी। अतः बेवा के साथ पुत्री तुरसा के नाम जमीन का इन्तकाल 1/2– 1/2 भाग का खुलना चाहिए था, लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा " सरक्यूलर नं. 3 सीगा माल राज्य कोटा" का हवाला दिया। हमारे द्वारा इस सरक्यूलर का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह सरक्यूलर मृतक रामनाथ की सम्पत्ति का नामान्तरकरण खुलते समय लागू होगा क्योंकि नामान्तरकरण 1954 में खुला जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में नहीं आया था।

उक्त सरक्यूलर के बिन्दु सं. 46 के अनुसार कम संख्या 2 पर बेवा स्त्री का अधिकार है तथा कम संख्या 4 पर बेटी अधिकारिणी है। अतः हमारी राय में सन् 1954 में मृतक रामनाथ की आराजी का नामान्तरकरण मथरी के नाम सम्पूर्ण हिस्से का खोलना उचित है। तत्समय अपीलांट का नाम नामान्तरकरण

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में 1/2 हिस्से पर नहीं खोलना उक्त सरक्यूलर के अनुसार उचित प्रतीत होता है। ~~इस सम्बंध में आर. आर. डी. 2010 चस्पा होती है।~~

प्रस्तुत अपील में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु निहित है जिसे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रमुखता से उठाया गया कि रामनाथ की सम्पत्ति जो मथरी के खाते आयी। मथरी की मृत्यु के पश्चात् उक्त सम्पत्ति किसे प्राप्त होगी ? अभिभाषक अपीलांट के अनुसार मथरी की मृत्यु के पश्चात् रामनाथ की सम्पत्ति रामनाथ के वारिसान को ही प्राप्त होगी। रामनाथ की सम्पत्ति घासीलाल के वारिसान को प्राप्त नहीं हो सकती। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 10.02.2004 खसरा नं. 345/2 रकबा 2 हैक्टर एवं खसरा नं. 270 रकबा 0.157 हैक्टर के नामन्तरकरण दिनांक 28.05.1999 की नकलों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घासीलाल की आराजी का इंतकाल रेस्पोडेंटगण के नाम खुला है अर्थात् घासीलाल की आराजी उसके पुत्रों को प्राप्त हुई है।

मथरी की मृत्यु सन् 1980 में हुई। मथरी की मृत्यु के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी हो चुका था।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख किया कि मथरी उक्त विवादित आराजी की Absolute Owner मानी जाएगी तथा धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम में पुत्र, पुत्रियां शामिल होने से पूर्व पति से उत्पन्न संतान पुत्री तथा बाद के पति से उत्पन्न पुत्र सभी का 1/4, 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण मथरी की मृत्यु के पश्चात् खोलना पूर्णतया सही है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) (ख) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया।

हमारे द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 का पूर्ण अध्ययन किया गया। धारा 15 (1) (क) के अनुसार निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति प्रथमतः पुत्र, पुत्रियों और पति को प्राप्त होगी। धारा 15 (2) (ख) के अनुसार उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने ससुर से विरासत में मिली हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उनमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी।

हमारी राय में प्रस्तुत अपील में विवादित आराजी मथरी को अपने पूर्व पति रामनाथ से विरासत में मिलना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की तनकी सं. 1 के निर्णय में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व पुत्री को विरासत में हक प्राप्त नहीं होने का उल्लेख किया गया है। हमारी राय में यह भी तथ्य कोटा सरक्यूलर नं. 3 के अनुसार प्रमाणित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आने से पूर्व बेवा का अधिकार क्रम 2 पर तथा पुत्री का क्रम 4 पर माना है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 690 सही खोला गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 का निर्णय करते समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूर्ण विवेचना नहीं कर फौरी तौर पर तनकी प्रतिवादी के हक में तय कर दी।

प्रस्तुत प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित सारभूत प्रश्न निहित है कि मथरी की मृत्यु के पश्चात् रामनाथ से प्राप्त सम्पत्ति में क्या घासीलाल के वारिसान को भी हक प्राप्त होगा अथवा सम्पत्ति महिला को पति से विरासत में मिलने पर मृतक के किसी पुत्र–पुत्री के अभाव में अन्य वारिसान को नहीं प्राप्त होकर पति के वारिसान को प्राप्त होगी।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूर्ण विवेचना कर पारित नहीं कर फौरी तौर पर पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए एवं प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के आलोक में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी) 3/06/2024
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा